न्यायालय संभागीय आयुक्त, जयपुर।

अपील सख्याः–181/18 (आरसीएमएस नं. 2018/00242)

1. श्रीमती श्रवणी देवी पुत्री स्व. लादूराम जी धर्मपत्नी श्री रामेश्वर लाल शर्मा, जाति ब्राहाम्ण निवासी ग्राम अनोपपुरा, तहसील आमेर हाल निवासी बाढ़ की ढाणी, नाडी का फाटक, बैनाड़ रोड़, झोटवाडा, तहसील व जिला जयपुर।

––अपीलान्ट

बनाम

1 अन्नु पुत्र स्व. प्रदीप पौत्री स्व. सूरजमल, जाति ब्राहाम्ण निवासी बड़ा कुऑ तन ग्राम अनोपपुरा, तहसील आमेर जिला जयपुर।
2. बंशीधर पुत्र स्व. नाथू, जाति ब्राहाम्ण,
3. कैलाश पुत्र नाथू कथित दत्तक पुत्र बलदेव, जाति ब्राहाम्ण निवासी बड़ा कुऑ तन ग्राम अनोपपुरा तहसील आमेर जिला जयपुर।
4. .सरकार जरिये तहसीलदार आमेर, तहसील कार्यालय आमेर, जिला जयपुर।
5. सरपंच, ग्राम पंचायत अनोपपुरा, तहसील आमेर जिला जयपुर।

––रेस्पोडेन्ट्स

निर्णय

दिनांकः 06.11.2019

अपीलार्थी द्वारा यह अपील न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, आमेर जिला जयपुर के आदेश दिनांक 03.05.2018 (प्रकरण संख्या 2/2017) से असंतुष्ट होकर राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956, की धारा 76 के तहत प्रस्तुत की गई।

अधिवक्ता अपीलान्ट ने अपील के तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया है कि नामान्तरकरण अधीन अपील में वर्णित आराजी खसरा नम्बर 164, 190, 194, 266, 268, 366, 196, 198, 267 हाल खसरा नम्बर 330, 331, 332, 335, 348, 349, 351, 353, 356, 358 कुल किता 10 कुल रकबा 6.10 हैक्टयर वाके ग्राम अनोपपुरा तहसील आमेर जिला जयपुर में स्थित है जिसके काबिज रिकार्डेड खातेदार काश्तकार नाथू, लादू, बलदेव पुत्रान स्व. धन्ना कौम ब्राहाम्ण राजस्व अभिलेखों में दर्ज चले आये है तथा लादू का स्वर्गवास होने पर लादू के हिस्से 1/3 की आराजी का नामान्तरकरण लादू की पत्नी रूकमा व पुत्री अपीलार्थीया श्रवणी देवी के नाम कानूनन तस्दीक किया जाना चाहिये था लेकिन स्व. नाथू के पुत्र सूरजमल ने साज व षडयंत्र रचकर लादू के उक्त हिस्से 1/3 की आराजी का नामान्तरकरण संख्या 59 सरपंच ग्राम पंचायत अनोपुपरा से साजकर अपीलान्ट उसकी माता रूकमा को सूचना व सुनवाई का अवसर दिये बगैर दिनांक 11.12.1969 को अपने नाम से तस्दीक करवा लिया जिसके विरूद्ध अपीलान्ट ने जानकारी से धारा 5 मिंयाद अधिनियम के प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र व धारा 96 के प्रार्थना पत्र के साथ प्रथम अपील अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी आमेर जयपुर के समक्ष प्रस्तुत की तथा अपील के साथ स्थगन प्रार्थना पत्र भी प्रस्तुत किया,

संभागीय आयुक्त
जयपुर

P.T.O.

अधीनस्थ न्यायालय अधीनस्थ न्यायालय ने दिनांक 11.01.2017 को बहस सुनकर अपील को दर्ज रजिस्टर करने व रेस्पोडेन्ट की तलबी करने तथा प्रश्नगत आराजीयात की रिकार्ड व मौके की यथास्थिति बनाये रखने हेतु रेस्पोडेन्ट संख्या 1 लगातय 5 को पाबन्द किया गया तथा पत्रावली में पेशी मूल रिकार्ड की तलबी हेतु दिनांक 14.05.2018 नियत थी, अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलान्ट को नोटिस व सूचना दिये बगैर ही पत्रावली को तारीख पेशी से पूर्व दिनांक 03.05.2018 को लोक अदालत कैम्प कोर्ट अनोपपुरा में पेश होना बताकर धारा 96 सी.पी.सी. व धारा 5 मियाद अधिनियम के प्रार्थना पत्रों को खारिज कर अपील अपीलान्ट अनुचित व अवैध रूप से खारिज कर दी इसलिये अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन आदेश निरस्तनीय है।

अधिवक्ता अपीलान्ट ने कथन किया है कि लोक अदालत में दोनों पक्षकारों को समझाईस से प्रकरण का निस्तारण किया जाता है लेकिन प्रस्तुत प्रकरण कस्टेड था जो लोक अदालत की परिधि में नही आता है लेकिन अधीनस्थ न्यायालय ने अनुचित व अवैध रूप से अपीलान्ट को नोटिस दिये बगैर प्रकरण को लोक अदालत में रखकर गुप–चुप में निर्णय पारित किया जो कि एविन इश्यो वाईड होने से निरस्तनीय है। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी आमेर जिला जयपुर द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 03.05.2018 व आदेश सरपंच ग्राम पंचायत अनोपपुरा तहसील आमेर दिनांक 11.12.1969 बाबत नामान्तरकरण संख्या 59 ग्राम अनोपपुरा निरस्त किया जावें व मृतक लादू के हिस्से की आराजी का नामान्तरकरण अपीलान्ट के हक में तस्दीक करने का आदेश प्रदान किया जावें।

अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ने अपील के तथ्यों को अस्वीकार करते हुए कथन किया है कि अपीलान्ट ने न्यायालय श्रीमान् एवं अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अस्पष्ट, भ्रामक एवं आधारहीन तथ्यों के साथ अपील प्रस्तुत की गई है क्योंकि अपीलार्थी श्रीमती श्रवणी देवी द्वारा नामान्तरकरण संख्या 59 दिनांक 11.12.1969 के विरूद्ध असाधारण विलम्ब से अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष मियाद बाहर अपील प्रस्तुत की गई थी जो निरस्तनीय ही थी। उन्होने आगे कथन किया है कि अपीलार्थीया गलत व आधारहीन तथ्यों के आधार पर अपने आप को स्व. लादू पुत्र स्व. धन्ना की पुत्री होना जाहिर करते हुऐ अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अपील प्रस्तुत की है जबकि अपीलान्ट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष एवं न्यायालय श्रीमान् के समक्ष ऐसा कोई तथ्य प्रस्तुत नही किया गया है जिससे अपीलान्ट स्व. लादू की पुत्री साबित होती हो।

अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ने कथन किया है कि मौजूदा द्वितीय अपील तथा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष धारा 75 के अन्तर्गत प्रस्तुत अपील राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 के प्रावधानों के अन्तर्गत संक्षिप्त प्रक्रिया है जिसके माध्यम से अपीलान्ट को किसी प्रकार का अनुतोष प्राप्त नही हो

संभागीय आयुक्त
जयपुर

सकता बल्कि यह तो समक्ष न्यायालय में दावा करके ही तय कराया जा सकता है। उन्होने आगे कथन किया है कि नामान्तरकरण संख्या 59 ग्राम पंचायत द्वारा नियमानुसार सम्पूर्ण कार्यवाही पूर्ण करते हुए ही दिनांक 11.12. 1969 को खोला गया था जिस हेतु रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के दादा श्री सूरजमल द्वारा किसी भी प्रकार से कोई साज व षडयंत्र नही रचा गया था, अपीलान्ट की माता को तथा अपीलान्ट स्वयं को उक्त नामान्तरकरण की आरम्भ से बखूबी जानकारी होने के बावजदू अपीलान्ट की माता द्वारा अपने जीवनकाल तक तथा अपीलान्ट की माता का स्वर्गवास वर्ष 2009 में हो जाने के उपरान्त अपीलान्ट द्वारा भी कभी कोई आपत्ति उक्त नामान्तरकरण के विरूद्ध नही की गई है। उन्होने आगे कथन किया है कि जब वर्ष 1969 में भी उक्त भूमि की खातेदारी नियमानुसार रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के दादाजी श्री सूरजमल तथा रेस्पोडेन्ट संख्या 2 व 3 बंशीधर व कैलाश के नाम खुल जाने के उपरान्त से उक्त भूमि के राजस्व रिकर्ड अनुसार रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के दादाजी श्री सूरजमल तथा रेस्पोडेन्ट संख्या 2 व 3 बंशीधर व कैलाश अपने–अपने निहित हिस्से की भूमि के मालिक, स्वामी व काबिज काश्त चले आ रहे है तो ऐसी सूरत में अपीलान्ट का यह कहना स्वयंमेव ही गलत हो जाता है कि लादू के हिस्से की आराजी का नामान्तररण उनके नाम खुलवा दिया हो तथा अपीलान्ट की माता रूकमा का भी नामान्तररण अपीलान्ट के नाम खुलवा दिया हो, इस प्रकार अपीलान्ट द्वारा समस्त मिथ्या तथ्यों के आधार पर अपील पेश करने की गरज से मिथ्या दावे को गलत आधार बनाते हुये मियाद में लाने की गरज से अंकित किये गऐ है जबकि नामान्तरकरण संख्या 59 दिनांक 11.12.1969 की आरम्भ से ही अपीलान्ट को बखूबी जानकारी रही है इसलिये अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उभयपक्ष को सुनवाई का समुचित अवसर देने के उपरान्त ही अपीलाधीन आदेश दिनांक 03.05.2018 पारित किया गया है जिसमें किसी प्रकार की कोई कानूनी गलती नही की गई। अतः अपील अपीलान्ट खारिज योग्य होने से खारिज फरमाई जावें।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया गया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली की आदेशिका के अवलोकन से जाहिर होता है कि दिनांक 03.01.2018 को पत्रावली मूल रिकार्ड की तलबी में नियत थी तत्पश्चात् तारीख पेशी दिनांक 19.01.18 को 23.02.18 को एवं 19.04.18 को पीठासीन अन्य राजकार्यो में व्यस्त रहे और दिनांक 19.04.2018 को मूल रिकार्ड तलबी में ही आगामी तारीख पेशी दिनांक 14.05.2018 नियत हुई लेकिन अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त नियत तारीख पेशी दिनांक 14.05.18 से पूर्व ही दिनांक 03.05.18 को पत्रावली कैम्प कोर्ट अनोपपुरा में तलब कर पत्रावली का निस्तारण किया गया है जबकि अधीनस्थ न्यायालय के पत्रावली में ऐसा कोई नोटिस संलग्न नही है जिससे उक्त कैम्प कोर्ट बाबत अपीलान्ट को किसी प्रकार से सूचित किया गया है। ऐसी स्थिति में उपरोक्त समस्त तथ्यों के मद्देनजर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश न्याय के प्राकृतिक सिद्धान्त, न्यायिक प्रक्रिया, एवं लोक अदालत की भावना के विपरित होने से उसे उचित नही ठहराया जा सकता है।

संभागीय आयुक्त
जयपुर

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, आमेर जिला जयपुर द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 03.05.2018 को निरस्त किया जाता है एवं प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, आमेर जिला जयपुर को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि प्रकरण में उभयपक्ष को साक्ष्य, सबूत, दस्तावेजात इत्यादि प्रस्तुत करने का एवं सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान कर प्रकरण में पुनः विधि सम्मत निर्णय पारित करें।

(के0सी0वर्मा)
संभागीय आयुक्त,
जयपुर।

निर्णय आज दिनांक 06.11.2019 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

संभागीय आयुक्त,
जयपुर।